मिष्ठान भंडारों से लिए जा रहे सैंपल, पर कार्रवाई शून्य

▸ मझौली में मिलावटखोरी पर मौन क्यों है खाद्य विभाग

मझौली। एक ओर सरकार स्वस्थ भारत अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर नगर मझौली में स्वास्थ्य से सीधे जुड़े मसले पर लापरवाही साफ नजर आ रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिनोद धुर्वे द्वारा बीते कई महीनों से नगर के विभिन्न मिष्ठान भंडारों से मिठाइयों के नमूने (सेम्पल) लिए जा रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक किसी भी विक्रेता पर न तो कोई कार्रवाई की गई, न ही रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर मिठाइयों में मिलावट नहीं है, तो रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए, और अगर मिलावट है, तो संबंधित दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जिससे विभाग की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

किराना और डेयरियों में भी खुलेआम बिक रहा स्लो पॉइजन

मात्र मिठाई ही नहीं, कई किराना दुकानों और डेयरी संचालकों द्वारा नकली या मिलावटी दूध, घी, तेल, बेसन जैसे खाद्य पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं, जिससे आमजन, विशेष रूप से बच्चे और बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। फिर भी इन दुकानों की न तो नियमित जांच हो रही है, न ही किसी तरह की पाबंदी। तो वही क्षेत्रीय निवासियों में इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। कई लोगों ने इस विषय पर एफआईआर दर्ज करने और कलेक्टर जबलपुर से जांच की मांग की है।

116 लोगों ने लगाई जनसुनवाई में गुहार

जबलपुर। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आज अपर कलेक्टर नाथूराम गोंड और अन्य अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आये लोगों ने अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर 116 आवेदन दिये। जिसमें 89 नये आवेदन हैं तथा 27 ऐसे आवेदन है जो पूर्व में भी आ चुके थे। जनसुनवाई में आये ज्यादातर राजस्व संबंधी, पीएम आवास का लाभ दिलाने, लड़ाई-झगड़ा, छात्रवृत्ति भुगतान, पानी, नाली निर्माण, आर्थिक सहायता, पीएम किसान योजना में नाम जोड़ने, किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने, शिक्षा, समग्र आईडी, चिकित्सा सहायता, पेंशन, संबल राशि दिलाने व बीपीएल कार्ड बनवाने आदि से संबंधित आवेदन थे।

जिला न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने सजा से किया दंडित

जबलपुर। मकान का किराया के लिए जारी किया गया चेक बाउंस के मामले में किरायेदार को दोषमुक्त कर दिया था। जिसके खिलाफ दायर अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस ए के पालीवाल की एकलपीठ ने पाया कि नोटिस जारी करने के दिन की गणना करने में जिला न्यायालय ने भौतिक .त्रुटि की है। एकलपीठ ने जिला न्यायालय के आदेष को खारिज करते हुए अनावेदक पर जारी चेक की दो गुना राशि का जुर्माना लगाया है।

भोपाल निवासी जी डी नारंग की तरफ से दायर की गयी अपील में कहा गया था कि उसने शाहपुरा स्थित अपने ड्यूप्लैक्स को किराये पर दिया था। किरायेदार रमेश कोठारी ने किराये की राशि 14400 रूपये का चेक दिया था। चेक बाउंस होने के कारण उसने किरायेदार को नोटिस दिया था। इसके बाद अनावेदक के खिलाफ धारा 138 का तहत प्रकरण दर्ज करवाया था। जिला न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए किरायेदार को दोषमुक्त कर दिया। जिसके कारण उक्त अपील दायर की गयी है।

▸ किरायेदार को किया दोषमुक्त

एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि चेक बाउंस होने के 15 दिनों के अंदर नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण जिला न्यायालय ने अनावेदक किरायेदार को दोषमुक्त कर दिया। अपीलकर्ता ने निर्धारित समय अवधि के अंदर नोटिस भिजवा दिया था। अनावेदक को 15 दिनों को बाद नोटिस प्राप्त हुआ। जिला न्यायालय ने नोटिस प्राप्त होने की तिथि से दिन की गणना कर भौतिक त्रुटि की है। एकलपीठ ने अनावेदक पर चेक की राशि का दोगुना जुर्माना लगाते हुए उसमें से 25 हजार रूपये की राशि अपीलकर्ता को प्रदान करने के आदेष जारी किये है। अनावेदक द्वारा जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे तीन माह की कारावास की सजा भुगतनी होगी।

घंटों सड़क किनारे पड़ी रही वृद्ध की लाश

सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद पहुंची पुलिस

जबलपुर। पिसन्हारी में एक बुजुर्ग की लाश घंटों सड़क किनारे पड़ी रही। सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। बाद में जब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत तो पुलिस पहुंची और शव को पीएम के लिए मेडिकल भेजा गया।

मोक्षा संस्था के आशीष ठाकुर ने बताया कि पिसन्हारी में लावारिस बुजुर्ग 65 वर्ष की लाश सड़क किनारे पड़ी मिली। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी पुलिस सुबह से दोपहर शाम तक नहीं पहुंची तब राहगीर संतोष तिवारी द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर कॉल किया। जिसके बाद शाम पांच बजे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम में रखवाया। मौत कैसे हुई इसका पता नहीं चला। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई।

इसी प्रकार एक अन्य मामले में उन्होंने बताया कि संपत्तियां आमो 75 वर्ष पति स्वर्गीय नंने लाल आमो 5 वर्षों से महाराणा प्रताप वार्ड धनवंतरी नगर में झोपड़ी बनाकर रहती थी। जिनके दो बेटे राजकुमार उमेश है जो सिवनी में रहते है और मजदूरी करते है। सोमवार को वृद्धा की मौत हो गई। सूचना मोक्ष सहयोगियों को मिली। मोक्ष ने पहुंचकर तिलवारा में अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान मोक्ष सहयोगी प्रशांत, आकाश, अमित राजू प्रबल व क्षेत्रीय जन उपस्थित रहे।

हाईवे पर हुई लूट का खुलासा, दो लुटेरे गिरफ्तार

जबलपुर। बरगी क्षेत्रान्तर्गत हाईवे पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मारपीट कर मोटर सायकिल, मोबाईल एवं नगदी रूपये लूटने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से छीनी हुई मोटर सायकिल, नगदी रूपये, घटना में प्रयुक्त 1 मोटर सायकिल जप्त कर ली हैं। बरगी थाना प्रभारी जितेन्द्र पाटकार ने बताया कि रामसिंह उर्फ भूरा पटैल 49 वर्ष निवासी पटैल मोहल्ला बरगी को दो अगस्त को चूरिया मोड़ के पहने एनएच 34 रोड़ पर बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोक लिया और लाठी मारकर उसे गिरा दिया था। जेब में रखे 5 हजार 130 रूपये, मोबाइल, उसकी बाइक लूटकर भाग गए थे। इसी प्रकार रामसिंह निवासी पटैल मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी किएनएच 34 रोड़ पर बाइक सवार बदमाशों ने बेसबाल के डंडे से मारपीट कर उसका मोबाईल, बाइक, नगदी रूपए छीनकर भाग गए थे। पुलिस ने धाधरा रोड पर दबिश देकर अमन पटेल निवासी क्रेशर बस्ती एवं अरुण रजक निवासी दुर्गा नगर परसवाडा थाना संजीवनी नगर को पकड़ा। जिन्होंने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर लूट करना स्वीकार किया।

पनागर में आये दिन बढ़ रही चोरी की बारदातें

▸ सूने घर में हुई लाखों की चोरी

पनागर। 4 अगस्त की रात्री में लगातार दो बड़ी चोरिया पनागर नगर अर्तगत हुई है। जिसमें पनागर बम्हनोदा रोड गुरुनानक वार्ड निवासी संगीत जैन जो सुबह ही अपने पुश्तेनी घर करेली में अपने परिवार सहित गये हुए थे। जैसे ही दूसरे दिन 5 अगस्त कों 11 बजे अपने घर बापस आया तो आगे के हाल में लगी 65 इंची टी बी. गायब थी घर मालिक को चोरी का संदेह लगा और वह सीधे पनागर थाना जाकर, सूचना दी तत्पश्चात् थाना प्रभारी द्वारा डॉग स्काट और फिंगर प्रिंट टीम को सूचना दी गई। तभी टीम के साथ पनागर थाने की टीम ने जांच पड़ताल मे पता लगा की लगभग 2 लाख नगद एवं सोने चाँदी के सिन्के आभूषण टी वी आदी चीजे नदारत मिली वही राम वार्ड स्तिथ तहसील कार्यालय के पीछे लकी तिवारी कें सूने घर में लाखो रुपये की चोरी की प्राथमिकी पनागर थाने में दर्ज हुई है वहीं दो दिन पूर्व रिषभ जैन की जगमोहन वार्ड स्थित गोदाम में हार्डवेयर सामन चोरी की घटना सामने आई है

गली-गली में हो रही खुले में शराब खोरी -नगर के कुछ जगहो पर नशाखोरी की बना अड्डा बरदातों को अंजाम दे रहा है। जिसमे मुख्य रूप से बाम्हणोदा रोड स्तिथ यात्री प्रतिक्षालय नगर पालिका के पास, गाँधी जगमोहन बार्ड, आजाद वार्ड बजरंग वार्ड, जयप्रकाश वार्ड में खुले में युवक इकठ्ठा होकर शराबखोरी करते हैं। जिसमें नगर सनी जैन राजेश तिवारी राजू पटेल बल्लू विश्वकर्मा अनीता यादव लक्ष्य कोस्टा गीता वंशकार ने बताया कि खुले आम शराब खोरी से चोरी मारपीट लूट आये दिन हो रही है जो कि बड़ी बारदात का कारण बना हुआ है पनागर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्यवाही करे शराबखोरी पर अंकुश लगावे जिससे आम जन महाजनों के यहां आए दिन हो रही घटनाओं पर अंकुश लगे थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि 2 बड़ी चोरी की घटनाओं की प्राथमिकी पनागर थाने में दर्ज हुई है डॉग सकॉट सहित उचित जांच पनागर थाने की टीम कर रही है शीघ्र ही बारदातो पर रोक लगाई जावेगी !

हिस्ट्रीशीटर रज्जाक का गुर्गा हुआ गिरफ्तार

जबलपुर। शातिर बदमाश अब्दुल रज्जाक गैंग के एक और सदस्य को ओमती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पकड़ा गया आरोपी लंबे समय से फरार था जिसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रूपये का ईनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि ओमती थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज अपराध में मोहम्मद जमील पिता अब्दुल हमीद 40 वर्ष निवासी आनंद नगर कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल का फरार था जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने तीन हजार रूपए का ईनाम घोषित किया था। इसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर अतुल सिंह ने ईनाम की राशि बढ़ाते हुए 10 हजार रूपये की थी। फरार आरोपी जमील को मंगलवार को आनंद नगर के पास दबिश देते हुये गिरफ्तार किया गया है।

कोयला व्यापारी के घर चोरी

जबलपुर। गुरुनानक वार्ड निवासी कोयला व्यापारी के घर से चोरों ने धावा बोलते चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि संगीत जैन उम्र 32 वर्ष निवासी गुरुनानक वार्ड पनागर ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह कोयले का व्यापार करता है। सोमवार सुबह 6 बजे ताला लगाकर पुश्तैनी घर करेली नरसिंहपुर परिवार सहित चला गया था मंगलवार सुबह 11-30 बजे घर वापस आकर दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा तो देखा कि कमरे में रखी 65 इंच एलसीडी टीव्ही एवं उपर के कमरे रखी 45 इंच एलसीडी नहीं थी, उपर के कमरे का दरवाजा टूटा था।

उखरी चौक पर लग रहा जाम, उठने लगी चौराहे के चौड़ीकरण की मांग

▸ निगमायुक्त से की गई शिकायत

नवभारत, जबलपुर। विवेकानंद वार्ड अंतर्गत उखरी चौक के पास लग रहे आए-दिन जाम से निजात दिलाने की आवाज अब उठने लगी है। स्थानीय लोगों ने निगमायुक्त ने शिकायत की है कि उखरी चौक तक जो नगर निगम द्वारा डिवाइडर निर्माण कराया जा रहा है वो नियम विरूद्ध तरीके से हो करवाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि उखरी चौक पर लेबर चौक तरफ से आने वाले लोगों का ट्रैफिक और बल्देवबाग की ओर जाने वाले लोगों का ट्रैफिक आता है। और अवैध अतिक्रमणों के कारण यहां आए-दिन जाम के हालात निर्मित हो जाते हैं। जानकारों की माने तो जनहित में उखरी चौक का चौड़ीकरण होना चाहिए जिसके बाद 80 फुट रोड के सेंटर पर 40 फुट का डिवाइडर निर्माण होगा। अनिल अग्रवाल ने बताया कि उखरी चौक तक नगर निगम द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से डिवाइडर का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि नियम है कि 80 फुट रोड के डिवाइडर का सेंटर 40 फुट होना चाहिए। इसकी मुख्य वजह उखरी चौक में पसरा चारों तरफ अवैध अतिक्रमण है।

अनिल अग्रवाल ने निगमायुक्त प्रीति यादव को शिकायत पत्र भी लिखा है और उखरी चौक के चौड़ीकरण करने की मांग की है। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में उस वक्त के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने उखरी के श्यामा प्रसाद चौक का भूमिपूजन किया था लेकिन नियमों को यहां आज तक ध्यान में नहीं रखा गया है।

बरेला क्षेत्र के पहुंच मार्गों की हालत जर्जर

धनपुरी (बरेला)। प्राप्त समाचार के अनुसार जहां एक और शासन छोटे-छोटे पहुंच मार्गों को मुख्य पहुंच मार्गो से जोड़ने प्रयासरत है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य पहुंच मार्ग से सिहोरा पहुंच मार्ग एवं लहंगी से सिहोरा, मलारा पहुंच मार्ग से मिड़की पहुंच मार्ग मैं आज तक डामलीकरण ना होने से इन दिनों ग्रामीणजन परेशानी से गुजर रहे हैं बारिश के मौसम में वाहनों का चलना तो दूर की बात है राहगीरों का चलना भी समस्या का विषय बना हुआ है इन पहुंच मार्गों के डामलीकरण करने हेतु ग्रामीणों द्वारा लगातार मांग की जा रही है परंतु आज तक डामलीकरण का कार्य नहीं किया गया। ग्राम लहंगी के छात्र-छात्राएं अध्ययन करने कच्चे मार्ग से पैदल चलकर सिहोरा अध्ययन करने आते हैं। मलारा पहुंच मार्ग से मिड़की पहुंच मार्ग की हालत बहुत दयनीय है इस मार्ग पर अधिक कीचड़ होने के कारण राहगीरों का चलना परेशानी से गुजर रहा है इसके साथ - साथ सड़क न बनने से प्रसव के समय महिलाओं को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है ग्रामीण जनों द्वारा लोक निर्माण विभाग का अनेकों मर्तबा ध्यान आकर्षित कराया। पर इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिला कांग्रेस महासचिव योगेश पटेल, पंडित अरविंद तिवारी जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, आनंतराम पटेल, विपिन झरिया, राम जी रैकवार, जगदेव पटेल सहित क्षेत्र के अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जनों ने लोक निर्माण मंत्री एवं जिला कलेक्टर से उक्त पहुंच मार्गों के डामलीकरण करने की अभिलंब मांग की है ताकि राहगीरों को इस समस्या से निजात मिल सके।

सावन माह में निकली हरियाली ध्वज यात्रा

▸ श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब

जबलपुर। सावन मास के पावन अवसर पर मंगलवार को कैलाशपुरी दुर्गा मंदिर से अनगढ़ हनुमान मंदिर तक भव्य हरियाली ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा संध्या 6:00 बजे प्रारंभ हुई, जिसमें श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा में रामदरबार, आकर्षक झांकियाँ, विशाल ध्वज और तिरंगा यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। भक्तों ने हर-हर महादेव और जय श्रीराम के जयघोष के साथ यात्रा का स्वागत किया। सजी हुई झांकियों और ध्वजों से पूरा मार्ग भक्तिमय और राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन भाजयुमो महानगर मंत्री गोपाल गुप्ता तथा प्रदेश मंत्री (केशरवानी तरुण वैश्य सभा) गोपाल गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी और आयोजन की भव्यता ने सावन मास की पावनता को और भी दिव्य बना दिया।

फैक्टरी गेट पर दिया धरना

जबलपुर, नवभारत। आयुध निर्माणी खमरिया में मंगलवार को कैमिकल चार्जमैन स्वीकृत संख्या को बढ़ाने तथा डीबीडब्ल्यू प्रमोशन को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। कर्मचारियों ने फ्रैक्टरी गेट पर धरना दिया। आंदोलन का नेतृत्व लेबर यूनियन (एआईडीईएफ) कामगार यूनियन (बीपीएमएस) एवं एससी-एसटी संयुक्त मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संयुक्त संघर्ष समिति ने बताया गया कि सुबह निर्माणी के गेट क्रमांक 4 पर जोरदार नारेबाजी के साथ आंदोलन किया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने लंच का बहिष्कार करते हुए गेट क्रमांक 1 पर प्रतीकात्मक धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि नियमानुसार जितने पद सृजित होने चाहिए, उतने पद उपलब्ध नहीं हैं। यह पदोन्नति असमानता विगत कई वर्षों से बनी हुई है और इस संबंध में कई बार मामला डीओ सीएडएस कोलकाता एवं म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड मुख्यालय पुणे तक उठाया है, लेकिन अब तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। आंदोलन में रूपेश पाठक, अरनब दास गुप्ता, राजेंद्र चराडिया, सुकेश दुबे, प्रेमलाल सेन, अरुण मिश्रा, शरद अलवर, सचिन शर्मा, संजीव सिंह, निर्भय पटेल शामिल रहे।

किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया

पाटन। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जहां किसानों की फसलों में अधिकाधिक उपयोग होने वाली एवं उपयोगी यूरिया एवं डीएपी की किल्लत के बीच किसानों को अन्य विकल्पों की तरफ ध्यानाकर्षित करने उन्हें जागरूक करने के लिए स्वदेशी पथ प्रदर्शक समिति के द्वारा संचालित किसान जागरूकता अभियान की अगली कड़ी में पाटन के सिमरिया (सुरैया) में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें संगोष्ठी में पधारे किसान भाइयों को भारत कृषक समाज के वरिष्ठ सदस्य हर नारायण सिंह ठाकुर ने किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण कराने के लिए प्रेरित किया साथ ही यह भी बताया कि मिट्टी परीक्षण से हमे पता चल जाता है कि हमारे खेत में कौन से तत्व किस मात्रा में है और आवश्यकतानुसार हम अपने खेतों में खाद, उर्वरकों का उपयोग करके अपनी लागत भी कम कर सकते है एवं अपने खेत की मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट को भी प्रदर्शित किया। इसी मौके पर कृषि विस्तार अधिकारी से फोन पर भी चर्चा करके किसान भाइयों को सैंपल कलेक्शन की प्रक्रिया भी समझाई गई जिससे किसानों में काफी उत्साह देखा गया।

किसान जागरूकता अभियान के संचालक एवं किसान सेवा सेना के अध्यक्ष जितेन्द्र देसी ने किसानों को बताया कि हमे रासायनिक खाद एवं उर्वरकों के विकल्प के तौर पर जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती आदि की ओर रुख करने की आवश्यकता है एवं किसान भाइयों को कम से कम एक एकड़ से प्राकृतिक खेती करने की अपील की। संगोष्ठी में किसान भाइयों की अन्य समस्याओं एवं उनके पर भी चर्चा हुई। उक्त कृषक संगोष्ठी में सरपंच राजेश अहिरवार, संजय तिवारी (सचिव), डी एल पटेल, रश्मि पटेल, गोपाल पटेल, शैलेन्द्र सिंह का विशेष सहयोग रहा। संगोष्ठी में शिव सिंह, किशोर सिंह, बिहारी सिंह, मनोहर, पुष्पेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, विनय, उत्तम सिंह, बलवान सिंह, पंचम लाल, रामकुमार मेहरा सहित अन्य किसान साथी उपस्थित रहे।

कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./जविप्रा/भू-अर्जन/2025/2843 जबलपुर, दिनांक : 05/08/2025

जाहिर सूचना

जबलपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत धारा 50(4) के तहत नगर विकास योजना क्रमांक 62 (ग्राम- मढ़ोताल, गोहलपुर व अमखेरा) का म.प्र. राजपत्र में अंतिम प्रकाशन दिनांक 01/12/2006 को किया जा चुका है। अतएव योजना क्रमांक 62 के ऐसे भूमि-स्वामी जिनके द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय में मूल भू-स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही समझौता अनुबंध संपादन की कार्यवाही कराई गई है। उनको सूचित किया जाता है कि वह अतिशीघ्र भू-स्वामित्व मूल दस्तावेज प्राधिकरण कार्यालय मे प्रस्तुत करते हुए समझौता अनुबंध संपादन करावें ताकि विकास योजना का सुचारू क्रियान्वयन प्रारंभ कराया जा सके। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में भू-अर्जन शाखा, कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, ब्लॉक 7 ए, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर में संपर्क करें।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
जबलपुर अधिकारी प्राधिकरण, जबलपुर

पश्चिम मध्य रेल

विद्युत (सामान्य शाखा) – खुली निविदा

मंडल रेल प्रबंधक (विद्युत सामान्य) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु आवेदन निर्धारित निविदा फार्म पर खुली निविदा आमंत्रित करता है। **निविदा सूचना क्रमांक–** जबल/एल/टी नं. 13/2025 दिनांक 24.07.2025, **कार्य का नाम लाकेशन सहित–** जीएसपीआर और डीडीसीई गुड्स शेड में ग्राहकों के लिए आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान, **निविदा का अनुमानित मूल्य (कीमत लाखों में)–** रू. 114331.75, **निविदा फार्म की कीमत (रूपये में)–** 0.00/–, **कार्यालय का पता जहां टेण्डर फार्म खरीदा जा सकता है।** – वरि. मंडल विद्युत अभियंता/सामान्य/ जबलपुर, **बयाना राशि रूपये–** रू. 2300.00, **समापन अवधि (माह/वर्ष)** – 04 माह, **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय (15:00 बजे तक)** – 18.08.2025, **निविदा खुलने की तिथि एवं समय (15:30 बजे तक)** – 18.08.2025, निविदा सूचना की पूर्ण जानकारी रेलवे वेबसाईट https://ireps.gov.in पर उपलब्ध है पूर्ण निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाईट से डाउन लोड की जा सकती है।

(हस्ता)
वरि. मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य)
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

CENTRUM Home Loans

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के अनुसार)

ऋण खाता संख्या JLRJL23012350

यहाँ, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27/05/2025 को अजीत कुमार को उधारकर्ता और आरती महतो को सह-उधारकर्ता के रूप में बुलाकर, नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि रु. भुगतान करने का अनुरोध करते हुए एक माँग सूचना जारी की है। 26,11,005/- (छब्बीस लाख ग्यारह हजार पाँच रुपये मात्र) संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करना होगा।

ऋणकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणकर्ता को, विशेष रूप से और आम जनता को, सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा आज 4 अगस्त, 2025 को ले लिया है। ऋणकर्ता को, विशेष रूप से और आम जनता को, एतद्द्वारा, इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित एक राशि का भार वहन किया जाएगा।

ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूति परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का विवरण : अधिकारों में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा मौजा बिलपुरा, फोन नंबर 53, भूमि खं. संख्या 592/1, प्लॉट क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट, प्लॉट संख्या 5, जी.एफ. निर्माण क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट और एफ.एफ. निर्माण क्षेत्रफल 50 वर्ग फुट, वार्ड संख्या 78, तहसील पनागर, जिला जबलपुर-482011, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व- मकान मंजू बाई, पश्चिम- मकान कल्पना (विक्रेता) उत्तर- साइड रोड दक्षिण- अन्य की संपत्ति

दिनांक : 04-08-2025
स्थानः जबलपुर

अधिकृत अधिकारी,
सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: gmmp.fci@gov.in

क्र. एसएंडसी/15/आरटीसी/एनआईटी/2025/24 दिनांक: 06.08.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों के विभिन्न गंतव्यों हेतु नियमित सड़क परिवहन ठेकेदार (RTC) की दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों, ईएमडी एसडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

कब्जा नोटिस

जबकि, **जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (2) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकताओं को **मांग नोटिस** जारी किए हैं, जिसमें उधारकताओं से आह्वान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के भीतर संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के रूप में भविष्य में होने वाले ब्याज का भी भुगतान करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ बकाया राशि (रुपये में)	दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार
1	33580430000406	1) श्री श्याम लाल, पुत्र कलुआ, 2) श्रीमती मुन्नी, पत्नि श्यामलाल	19.05.2025 ₹ 3,51,418.29 (तीन लाख इक्यावन हजार चार सौ अठारह और उनतीस पैसे मात्र) 12.05.2025 तक	दिनांकः 04.08.2025 समयः 04.00 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा
	संपत्ति का विवरणः जमीन का वह पूरा टुकड़ा जिसमें आबादी का हिस्सा शामिल है खसरा संख्या 69/1 और 69/2, कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर), मौजा बिरहुली, पुलिस चौकी संख्या 99, तहसील रघुराजनगर और जिला सतना (मध्य प्रदेश) में स्थित है। पूर्व में दादूलाल चौधरी, पश्चिम में संतोष चौधरी, उत्तर में सड़क और दक्षिण में जैकी चौधरी से घिरा हुआ।			

जबकि ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उपरोक्त उल्लिखित तिथियों पर अपने कब्जे में ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से कोई भी लेन-देन **जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः जबलपुर
दिनांकः 06.08.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)
पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः प्लॉट संख्या 131/01, भूतल, एमपी नगर जोन-2, भोपाल (एमपी)-462011।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित

कार्यालय, तृतीय तल, सहकार भवन, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल
दूरभाष : 0755-4200675, ई-मेल : awassangh@gmail.com, वेबसाइट : mpawassangh.in

क्रमांक/आसंघ/तक./2025/436 भोपाल, दिनांक : 05.08.2025

ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खाचरोद जिला उज्जैन में 60 सीटर बालक छात्रावास निर्माण व साइट डेवलपमेंट कार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मैहर जिला मैहर में साइट डेवलपमेंट कार्य, आरकेव्हीवाय रफ्तार अंतर्गत 500 एमटी क्षमता गोदामों का निर्माण कार्य एवं विभिन्न आयुष क्लीनिक निर्माण कार्य की ई-निविदा **दिनांक 20.08.2025 सायं 5.00 बजे तक** आमंत्रित की जाती है, उपरोक्त दर्शित कार्यों के लिये निविदा फार्म क्रय करने एवं उससे संबंधित जानकारी वेबसाइट http://www.mptenders.gov.in तथा आवास संघ की बेवसाइट http://www.mpawassangh.in पर देखी जा सकती है। यदि किसी भी प्रकार का संशोधन होता है तो वह उक्त वेबसाइट्स पर ही प्रकाशित किया जायेगा।

क्र.	ई-निविदा क्र.	स्थल
01	2025_MSCHF_442326_1	Construction of 60 Seater Boys Hostel & Site Development Work At ITI Khachrod District Ujjain (M.P.) (On MPPWD SOR 01.08.2014)
02	2025_MSCHF_442341_1	Construction of Road And Culvert, Sumpwell, Boys Hostel Boundary wall, Girls Hostel Boundary wall And Rain Water Harvesting Site Development Work At ITI Maihar District Maihar (M.P.) (On MPPWD SOR 01.08.2014)
03	2025_MSCHF_442351_1	Construction of 500 MT Capacity Godown For RKVY-RAFTAR Scheme At Village Bhongakheda District Seoni (M.P) (On MPPWD SOR 01.08.2014)
04	2025_MSCHF_442347_1	Construction of 500 MT Capacity Godown For RKVY-RAFTAR Scheme At Village Bamaniya District Jhabua (M.P.) (On MPPWD SOR 01.08.2014)
05	2025_MSCHF_442353_1	Construction of 500 MT Capacity Godown for RKVY-RAFTAR Scheme at Village Kodar District Satna (M.P.) (On MPPWD SOR 01.08.2014)
06	2025_MSCHF_442376_1	Construction of Govt. Ayush Clinic At Village Shahpura Distt. Jabalpur (M.P.) (On MPPWD SOR 15.09.2022)
07	2025_MSCHF_442363_1	Construction of Govt. Ayush Clinic At Village Kaithlay Distt. Shajapur (M.P.) (On MPPWD SOR 15.09.2022)
08	2025_MSCHF_442369_1	Construction of Govt. Ayush Clinic At Village Patlavda Distt. Shajapur (M.P.) (On MPPWD SOR 15.09.2022)
09	2025_MSCHF_442386_1	Construction of Govt. Ayush Clinic At Village Sikroda Distt. Bhind (M.P.) (On MPPWD SOR 15.09.2022)

नोट : आई.टी.आई. खाचरौद, आई.टी.आई. मैहर एवं गोदामों से संबंधित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति MPPWD SOR 01.08.2014 के आधार पर निविदाएं प्रसारित की जा रही हैं। अत: निविदाकार कार्य हेतु प्रभावशील एस.ओ.आर. का ध्यान रखकर ही दरें प्रस्तुत करें।

म.प्र. माध्यम/121440/2025 **प्रबंध संचालक**